पत्र संख्या : 7वि॰शा॰/स्थापना–व्यय–15–03/2020 ज०सं० ....347....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा–गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 26/03/2021

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–01– मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट मुख्य शीर्ष **2700–मुख्य सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700–मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	**12.398**

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – रू॰– बारह लाख उनचालीस हजार आठ सौ मात्र।

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020–21 के संशोधित बजट उपबंध रू॰ 19522.98 लाख **(रू॰ एक सौ पंचानवे करोड़ बाईस लाख अठानब्बे हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

6. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।

8. कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण Online किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। **अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरूद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31मार्च 2021 के पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

25/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 347 रॉची, दिनांक :– 26/03/2021

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी,** रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला–खरसॉवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

25/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 347 रॉची, दिनांक :– 26/03/2021

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज॰सं॰वि॰/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)	(अशोक कुमार दास)	25/03/21 (प्रशांत कुमार)
उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	**सचिव**

परिशिष्ट I

पत्रांक 347 दिनांक 26/03/2021 का अनुलग्नक

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष–01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बॉंध परियोजना

राशि लाख रुपये में

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2020–21			विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–		
	कार्यालय का नाम			वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	विपत्र कोड	49S270001001020101	49S27000100102011 0	49S270001001020112	49S270001001020213	49S2700010 01020315	49S2700010 01020333	49S2700010 01020334	49S270001001020337	49S27000100102 0442	49S270001001020760		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	मुख्य अभियंता–ईचागालुडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर	1	पूर्व का आवंटन	140.000	0.000	0.000	0.400	1.200	0.500	0.050	0.000	2.500	0.000	144.650	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.750	0.000	1.150	
		3	कुल आवंटन	140.000	0.000	0.000	0.400	1.600	0.500	0.050	0.000	3.250	0.000	145.800	
2	रूपांकण आयोजन एवं मोनेटरिंग अंचल जमशेदपुर	1	पूर्व का आवंटन	168.050	0.000	0.000	1.400	0.500	0.050	0.150	0.000	0.800	0.000	170.950	
		2	अतिरिक्त आवंटन	5.270	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.270	
		3	कुल आवंटन	173.320	0.000	0.000	1.400	0.500	0.050	0.150	0.000	0.800	0.000	176.220	
3	स्वर्ण रेखा बांध अंचल चांडिल	1	पूर्व का आवंटन	169.000	0.000	0.000	0.800	0.800	0.150	0.250	0.600	1.000	0.000	172.600	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.200	
		3	कुल आवंटन	169.000	0.000	0.000	0.800	0.900	0.150	0.250	0.600	1.100	0.000	172.800	
4	बराज प्रमंडल–गालुडीह	1	पूर्व का आवंटन	348.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.150	0.225	40.000	0.000	0.300	389.525	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.200	
		3	कुल आवंटन	348.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.150	0.425	40.000	0.000	0.300	389.725	
5	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–2 चांडिल शिविर–डिमना	1	पूर्व का आवंटन	358.000	0.000	0.000	1.640	0.550	0.180	1.000	1.000	0.000	0.000	362.370	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	1.460	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.460	
		3	कुल आवंटन	358.000	0.000	0.000	3.100	0.550	0.180	1.000	1.000	0.000	0.000	363.830	
6	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–5 डिमना, जमशेदपुर	1	पूर्व का आवंटन	325.000	0.000	0.200	0.400	0.550	0.100	0.630	0.500	0.000	0.300	327.680	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.650	
		3	कुल आवंटन	325.000	0.000	0.200	0.400	0.700	0.100	0.630	0.500	0.000	0.800	328.330	
7	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–7 गालूडीह	1	पूर्व का आवंटन	360.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.900	0.000	0.000	0.000	361.400	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.650	
		3	कुल आवंटन	360.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.050	0.900	0.000	0.000	0.500	362.050	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

25/03/21.
(प्रशांत कुमार)
सचिव

क० सं०	वित्तीय वर्ष 2020–21			विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–	विस्तृत शीर्ष–07–	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम			वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	विपत्र कोड	49S270001001020101	49S27000100102011 0	49S270001001020112	49S270001001020213	49S270001001020315	49S270001001020333	49S270001001020334	49S270001001020337	49S2700010010442	49S270001001020760		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–9 घाटशिला	1	पूर्व का आवंटन	321.000	0.000	0.250	0.400	0.700	0.050	0.575	0.000	0.000	0.300	323.275	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	
		3	कुल आवंटन	321.000	0.000	0.250	0.400	1.200	0.050	0.575	0.000	0.000	0.300	323.775	
9	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल गांगुडीह	1	पूर्व का आवंटन	419.000	0.000	0.000	0.400	0.250	0.100	0.700	0.000	0.000	0.300	420.750	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.000	0.900	1.150	
		3	कुल आवंटन	419.000	0.000	0.000	0.400	0.400	0.200	0.700	0.000	0.000	1.200	421.900	
10	स्वर्ण रेखा बांध प्रमंडल संख्या–2 चांडिल	1	पूर्व का आवंटन	435.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.050	0.870	0.000	0.000	1.000	437.670	
		2	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	1.168	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.168	
		3	कुल आवंटन	435.000	0.000	0.000	1.368	0.550	0.050	0.870	0.000	0.000	1.000	438.838	
	अतिरिक्त आवंटन का योग			5.270	0.000	0.000	2.628	1.450	0.100	0.200	0.000	0.850	1.900	12.398	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.10.2012 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रू. बारह लाख उनचालीस हजार आठ सौ मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

347
26/03/2021